



सं./REGN No. INSTM/R/2017/00002

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMNET

(आईएसओ 9001:2008 संस्था / AN ISO 9001:2008 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग /Department of Personnel and Training

प्रशासनिक ब्लॉक , ज०ने०वि० )पुराना( परिसर /Administrative Block, JNU (OLD) Campus

ओलोफ पाल्मे मार्ग ,नई दिल्ली- 110067 /Olof Palme Marg, New Delhi - 110 067

Telephone/ दूरभाष: 011-26102597, Telefax/ टेलीफैक्स: 011-26104183

वेबसाइट-www.istm.gov.in

दिनांक 28.04.2017

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत माँगी गई सूचना

महोदय,

दिनांक 28.03.2017 को प्राप्त कृपया अपने सूचना का अधिकार आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें।

2. आपके अनुरोध का उत्तर संलग्न है।
3. यदि आप उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी कर्नल संजय कुमार शर्मा, अपर निदेशक, सप्रप्रसं., कमरा संख्या 112, प्रशासनिक ब्लॉक, सप्रप्रसं. ज.ने.वि. परिसर (पुराना), ओलोफ पालमे मार्ग, नई दिल्ली, ई-मेल [sanjaysharma.148p@gov.in](mailto:sanjaysharma.148p@gov.in) को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(एच. गोविन्द)

उप निदेशक तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

ई-मेल:govind.h13@nic.in

कम सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	शारीरिक दिव्यांगों हेतु किन-किन विभागों में रिक्तियां हैं उनका ब्यौरा उपलब्ध करायें।	सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में रिक्तियां भरने का काम उसके मंत्रालय द्वारा किया जाता है। केवल बहुकार्य कर्मचारी की भर्ती स.प्र.प्र.सं. में एस एस सी के माध्यम से की जाती है।
2.	पंजीकरण के कितने दिनों के पश्चात दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ होती है।	इस संस्थान में बहुकार्य कर्मचारी की भर्ती एस एस सी के माध्यम से की जाती है।
3.	वर्ष 2008 से 2015-16 में मंत्रालय द्वारा कितने विकलांगों को नौकरी प्रदान की गयी।	इस संस्थान में वर्ष 2008 से 2015-16 तक एक विकलांग की भर्ती हुई है।
4.	वर्ष 2017 में दिव्यांगों के लिए निर्धारित कोटे के लिए किन-किन विभागों में रिक्तियां शेष हैं तथा उन्हें पूरा करने हेतु क्या-2 पात्रता आवश्यक है।	स.प्र.प्र.सं. इस सूचना का अधिकारी नहीं है।
5.	अब तक दिव्यांगों के कोटे की किसी भी विभाग में नहीं भरी गयी शीटों के लिए कौन जिम्मेवार तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी।	स.प्र.प्र.सं. का इस सूचना से संबंध नहीं है।

स.प्र.प्र.सं.